"हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं"

आरईसी
असीमित ऊर्जा, अपरिमित संभावनाएं

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)

Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

सं.आरईसी/प्रशासन/एनआईटी/फैक्स/ दिनांकः 9.3.2009

विषयः आरईसी कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में पैनासोनिक फैक्स मशीन की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

प्रिय महोदय,

पैनासोनिक के अधिकृत विक्रेताओं से संलग्न निविदा दस्तावेज के मुताबिक मॉडल सं. केएक्सएमबी 772 सीएक्स पैनासोनिक फैक्स मशीन की अधिप्राप्ति हेतु बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

मुहरबंद बोलियां 20.3.2009 को दिन में 3 बजे तक प्राप्त की जाएंगी।

संलग्नः **यथोपरि**

भवदीय,

ह./-

(ए.के.अरोड़ा)
उप महाप्रबंधक (प्रशा.)

आरईसी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

<u>हमारे कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में पैनासोनिक फैक्स मशीन की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)</u>

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का उद्यम, मॉडल सं. केएक्सएमबी 772 सीएक्स पैनासोनिक फैक्स मशीन की आपूर्ति एवं संस्थापना के लिए इनके अधिकृत विक्रेताओं से **'मुहरबंद कोटेशन '** आमंत्रित करता है। बोलीदाता को अनुबंध-1 में इंगित दोनों विनिर्देशों के लिए मूल्य बताना होगा। उद्यम को पूरे वर्ष में लगभग 20 मशीनों की तथा 5 मशीनों की तत्काल आवश्यकता है।

1.1 बोलीदाता संगठन की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर मुहरबंद बोली को निम्नलिखित के पास भेजा जाएः-

उप महाप्रबंधक (प्रशा.)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003

2.1 आरईसी द्वारा मुहरबंद बोलियां 20.03.2009 को दिन में 3 बजे तक प्राप्त की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को अस्वीकृत/नजरअंदाज कर दिया जाएगा, चाहे इसमें कोई भी दर बताई गई हो।

2.2 बोलियां 20.3.2009 को दिन में 3.30 बजे प्रतिष्ठानों (फर्म) के प्रतिनिधियों के समक्ष
खोली जाएंगी।

3. बोली दस्तावेज के साथ रू. 5000/- की धरोहर राशि (ईएमडी) भी दी जाए। इस धरोहर राशि का भुगतान रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के जरिए किया जाए। जिस बोली के साथ वैध डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में धरोहर राशि नहीं दी जाती है, उसे अमान्य माना जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.1 धरोहर राशि निम्न मामले में वापस नहीं की जाएगी:-

(क) यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है।

3.2 सफल बोलीदाता की धरोहर राशि संविदा निष्पन्न करने के लिए रखी जाएगी और बोली की वैधता के पश्चात जारी की जाएगी।

3.3 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि विचाराधीन प्रतिष्ठान (फर्म) पैनासोनिक का अधिकृत विक्रेता है।

4.0 मद की आपूर्ति के उद्देश्य से बोली 12 महीने, अर्थात 31.3.2010 तक वैध होगी।

5.0 दरें एवं कीमतें

5.1 बोलीदाता मॉडल केएक्सएमबी 772 सीएक्स फैक्स मशीन की कीमत अवश्य बताएं।

5.2 वारंटी अवधि के बाद उपस्करों/संस्थापना के रख-रखाव में लगने वाला शुल्क। बोलीदाता द्वारा वारंटी अवधि मद अनुसूची (अनुबंध- 2) में अवश्य इंगित की जाए।

5.3 मशीनों की आपूर्ति, संस्थापना और चालू करने से संबंधित बोलीदाता द्वारा देय सभी प्रकार के सांविधिक शुल्क एवं कर (उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क समेत)बिक्री कर एवं अन्य प्रभार उपस्करों/सामानों के लिए बताई गई कीमत में ही शामिल होने चाहिए।

5.4 बताई गई कीमत निश्चित होगी और प्रस्ताव की वैधता के दौरान दर, कीमत अथवा शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर धरोहर राशि वापस नहीं की जाएगी।

उपस्करों की आपूर्ति एवं उन्हें चालू करने के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा या अन्य किसी प्रभार आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.5 उपस्करों/कल-पुर्जों से संबंधित जो बातें/घटक अनुबंध -1 और 2 में नहीं बताई गई हों पर उपस्करों/कल-पुर्जों के संबंध में बताना आवश्यक हो, उन्हें भी मद अनुसूची में उपस्करों/कल-पुर्जों के लिए बताई गई कीमत में शामिल माना जाएगा।

6.0 मशीन की आपूर्ति/उसको चालू करने में विलंब करने पर दंड

आपूर्तिकर्ता निर्धारित वितरण अवधि के भीतर सामान की आपूर्ति करे, यह सुनिश्चित करने के लिए खरीद संबंधी शर्तों में परिसमापित हर्जाना (एलडी) खंड अवश्य दिया जाता है, जो निम्नानुसार है

(क) आपूर्ति के लिए परिसमापित हर्जाने (एलडी) के रूप में नहीं दिए गए किसी भी सामान/स्टोर की कीमत की 2% धनराशि के बराबर अथवा पूरी कीमत जहां पर आरईसी लिमिटेड के लिए आंशिक वितरण (डिलीवरी) का कोई उपयोग नहीं है, कुल आदेश (ऑर्डर) के 10% की अधिकतम सीमा तक एक सप्ताह अथवा सप्ताह की किसी अंशावधि के लिए आपूर्तिकर्ता से वसूली जाएगी। ऐसे मामलों में कंपनी आदेश को रद्द करने तथा धरोहर राशि वापस नहीं करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।

(ख) परिसमापित हर्जाने (एलडी) की वसूली पार्टी के किसी भी बकाया राशि से की जा सकती है।

7.0 <u>बोली प्रक्रिया का निरस्तीकरण एवं पुनःनिविदा</u>

(क) ठेका सौंपने से पूर्व आरईसी बोलियों के प्राप्त होने के बाद किसी भी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकृत करने समेत बोली प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके लिए इसकी प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति कोई देयता नहीं होगी और न ही आरईसी की कार्रवाई के आधार के बारे में प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं को सूचना देने की बाध्यता होगी।

(I) यदि परिस्थितिवश बोली प्रक्रिया को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व निरस्त करना अपेक्षित हो, तो इस आशय से प्रेस विज्ञापन के जरिए एक 'सामान्य अधिसूचना ' जारी की जाएगी (प्रेस विज्ञापन के जरिए मंगाई गई व्यापक निविदा के मामले में) और जिन बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज जारी किए गए हैं, उन्हें इसकी सूचना अलग से दी जाएगी तथा उस समय तक प्राप्त बोलियां, यदि कोई हों, वापस कर दी जाएंगी।

(II) यदि परिस्थितिवश बोली प्रक्रिया को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद किन्तु बोलियों के खुलने के पूर्व निरस्त करना अपेक्षित है तो जिन बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं, उन्हें अलग से इसकी सूचना दी जाएगी तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने और पुनः निविदा कराने के प्रावधान को केवल अंतिम विकल्प के रूप में इस कार्रवाई के लिए पर्याप्त तर्क बताने पर ही यथोचित माना जाएगा।

8.0 मशीनों का वितरण (डिलीवरी) और संस्थापना आदेश प्राप्त होने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और ऐसा नहीं करने पर खंड 6 में निहित शर्तें लागू होंगी।

9.0 <u>मध्यस्थता</u>

यदि दोनों पार्टियों के बीच करार की शर्तों अथवा अपने-अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों या देयताओं के संबंध में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो दोनों पार्टियां मिलकर इनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने का प्रयास करेगी। यदि पार्टियां उचित समय के भीतर किसी शांतिपूर्ण समझौते पर नहीं पहुंच पाती हैं तो कथित विवाद, संदेह अथवा मतभेद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पार्टियों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिल्ली होगा।

10.0 किसी भी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.0 आरईसी बिना कोई कारण बताए इस बोली आमंत्रण को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार के निर्णय से आरईसी पर कोई देयता नहीं बनेगी।

12.0 आरईसी आदेश जारी करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके फलस्वरूप इस पर कोई देयता लागू नहीं होगी।

13.0 उक्त दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण उप महाप्रबंधक (प्रशासन) से निम्नलिखित पते पर प्राप्त किया जा सकता है:-

उप महाप्रबंधक (प्रशा.)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दूरभाषः 24366921

सहायक प्रबंधक (प्रशा.),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दूरभाषः 24362056

संदर्भ सं. आरईसी/प्रशासन/एनआईटी/फैक्स
दिनांकः 09.03.2009

ह./-
उप महाप्रबंधक (प्रशा.)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

संलग्नकः अनुबंध-1

अनुबंध-1

फैक्स मशीनों की आपूर्ति के लिए बताई गई दरें

पैनासोनिक फैक्स मशीन (मॉडल केएक्सएमबी 772 सीएक्स) की आपूर्ति हेतु बताई गई दरें	I) कीमत--------------------------- II) कर--------------------------- क) -------------------------------- ख) -------------------------------- III) कुल----------------------

1. वारंटी अवधि.......................................
2. समग्र वार्षिक रख-रखाव शुल्क रू.................प्रति वर्ष
3. सामान्य रख-रखाव शुल्क
   वारंटी अवधि के पश्चात रू.................प्रति वर्ष
4. कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद वितरण अवधि........................दिन

रबर स्टाम्प के साथ
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर